न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 111/2019
आरसीएमएस नं. 2018/00222

1. जगतार सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह जाति तरखान निवासी 12 एस.एलडल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. विपिन कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी मेरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीब्रंगा जिला हनुमानगढ।
2. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 23 राज0 उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेप में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975

विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा दिनांक 13.02.2018, प्र. सं. 96/2017

अनवान्ट स्टेट बनाम जगतार सिंह आदि

श्री भवानी सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 21.07.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 21 राज0 उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेप में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975के अन्तग्रत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 983 रकबा 5.060 है0 वर्तमान जगतार सिह पुत्र गुरदत्त सिंह 3.036 है0 जाति तरखान निवासी 12 एसएलडब्ल्यू विपिन कुमार पुत्र कृष्ण लाल 2.024 है0 जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा घग्घर में दर्ज है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 1899 दिनांक 18.09.2000 को राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल को आवंटन किया गयाहै तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.रिट नम्बर 1536/2003 "अब्दुल रहमान बनाम स्टेट" में भी प्रतिबंधित है तथा वर्णित भूमि जो घग्घर के जलभराव की भूमि है जो राजस्थान टिनन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित है। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ोपल के खसरा नं. 983 रकबा 5.060 है0 का आवंटन रदद किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 983 की 5.060 है0 राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोपल को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन कर दिनांक 02.02.2011 को उपजिला कलक्टर पीलीबंगा द्वारा सनद जारी की गई। इसके बाद उक्त रकबा राजेन्द्र पुत्र मनीराम द्वारा श्रीमति बानोदेवी पत्नी श्री भादरराम व सुनीतादेवी पत्नी जगदीश को जरिये पंजिकृत बैयनामा दिनांक 04.05.2012 को विक्रय की गई। इसके पश्चात् श्रीमति बानोदीव व सुनीता देवी के उक्त विवादग्रस्त रकबा में से 3.036 है0 रकबा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.2015 अपीलांट संख्या 1 को व 2.024 है0 भूमि अपीलांट संख्या 2 को विक्रय कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में भी मलदरामद अपीलांट के नाम से हो चुका है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी आज भी अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध, अनुचित एवं आवंटन पत्रावली को तलब किये बिना पारित किया गया है व अपीलाट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। आवंटन पत्रावली में प्रश्नगत भूमि खसरानं. 983 की 2.060 है0 भूमि होना व यह भूमि टी.सी. पर आवंटित होने की अभिलेखिय साक्ष्य मौजूद थी, टीसी पर समय समय पर नवीनीकृत होता आया है। आराजी को कथित घग्घर भराव क्षेत्र की मानने में तथ्यात्मक भूल की है यह भूमि नातो घग्घर भराव क्षेत्र की है व ना ही जल भराव क्षेत्र के अन्तर्गत आता जो तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। प्रथमतः तो भूमि घग्घर फ्लड की भूमि से भिन्न भूमी थी ताहम भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बने नियमों पर लागू नही होते। राजस्थान अधिनियम व इस अधिनियम के अधीन बने नियमों के प्रावधान राजस्थान कातश्कारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव रखते हैं तथा इस सबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान हैं। माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के अनुसार किसी विशेषज्ञ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समिति ने कथित रूप से कोई सर्वे कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह माना जा सके की घग्घर फलड की भूमि आवंटन योग्य ना हो। पीलीबंगा तहसील के जिस क्षेत्र में से होकर घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में काश्तकारों की खातेदारी भूमि विद्यमान है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनिमय एक विशिष्ट कानून है तथा इस अधिनियम के अधीन विरचित राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 का प्रभाव जिस परियोजना क्षेत्र पर है उस क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों को लागू कर एवं प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित भूमि मानने बाबत कानूनी भूल की है। आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है जबकि आवंटी ने कोई तथ्य छुपाये हों। आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं। अपीलाण्ट सं0 2 की तामील करवाये बिना ही आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 983 रकबा 5.060 है0 वर्तमान जगतार सिह पुत्र गुरदत्त सिंह 3.036 है0 जाति तेखान निवासी 12 एसएलडब्ल्यू विपिन कुमार पुत्र कृष्ण लाल 2.024 है0 जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा घग्घर में दर्ज है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 1899 दिनांक 18.09.2000 को राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल को आवंटन किया गया है तथा उक्त रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.रिट नम्बर 1536/2003 "अब्दुल रहमान बनाम स्टेट" में भी प्रतिबंधित है तथा वर्णित भूमि जो घग्घर के जलभराव की भूमि है जो राजस्थान टिनन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित है। उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत ग्राम बड़ोपल के खसरा नं. 983 रकबा 5.060 है0 का आवंटन रदद किया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 983 रकबा 5.060 है0 वर्तमान जगतार सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह 3.036 है0 जाति तरखान निवासी 12 एसएलडब्ल्यू विपिन कुमार पुत्र कृष्ण लाल 2.024 है0 जाति जाट साकिन मेहरवाला तहसील टिब्बी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश नं. 1899 दिनांक 18.09.2000 को राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन बड़ोपल को आवंटन किया गया है। इसके बाद उक्त रकबा राजेन्द्र पुत्र मनीराम द्वारा श्रीमति बानोदेवी पत्नी श्री भादरराम व सुनीतादेवी पत्नी जगदीश को जरिये पंजिकृत बैयनामा दिनांक 04.05.2012 को विक्रय की गई। इसके पश्चात् श्रीमति बानोदेवी व सुनीता देवी के उक्त विवादग्रस्त रकबा में से 3.036 है0 रकबा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 29.06.2015 अपीलांट संख्या 1 को व 2.024 है0 भूमि अपीलांट संख्या 2 को विक्रय कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में भी अमलदरामद अपीलांट के नाम से हो चुका है। अपीलाधीन आदेश अपीलाट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 983 की 2.060 है0 भूमि टी.सी. पर आवंटित होती एवं टीसी पर समय समय पर नवीनीकृत होता आया है। अधीनस्थ न्यायायल ने आराजी को कथित घग्घर भराव क्षेत्र की माना है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बने नियमों पर लागू हाते है अथवा नहीं तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम व इस अधिनियम के अधीन बने नियमों के प्रावधान राजस्थान कातश्कारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव रखते हैं अथवा नहीं तथा इस सबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान हैं अथवा नहीं तथा माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के अनुसार किसी विशेषज्ञ समिति ने कथित रूप से कोई सर्वे कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह माना जा सके की घग्घर फलड की भूमि आवंटन योग्य ना हो। पीलीबंगा तहसील के जिस क्षेत्र में से होकर घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में काश्तकारों की खातेदारी भूमि विद्यमान है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनिमय एक विशिष्ट कानून है तथा इस अधिनियम के अधीन विरचित राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 का प्रभाव जिस परियोजना क्षेत्र पर है उस क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान बाध्यकारी है अथवा नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों को लागू कर एवं प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित भूमि माना है। आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है जबकि आवंटी ने कोई तथ्य छुपाये हों ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिससे यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साबित हो कि आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं। उक्त बिन्दूओं पर अपीलाण्ट को सुना जाना उचित है। चूंकि अपीलाण्ट सं0 2 की तामील करवाये बिना पारित किया गया है उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। इसलिए अपीलाण्ट एक सुनवाई हेतु एक अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 निरस्त किया जाता है तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम बड़ोपल के ख. नं. 983 रकबा 5.060 है0 भूमि की दिनांक 13.02.2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.7.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)